देवास विकास प्राधिकरण,देवास

चामुण्डा कॉम्प्लेक्स, ए.बी.रोड, देवास (म.प्र.) कार्या. 07272. 250526, 251178

क्रमांक 17 /2024

दिनांक 08.01.2024

सुनवाई हेतु सूचना-पत्र

प्रति,

श्री ....

....

....

विषयः- **देवास विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक टी.डी.एस.-08/2023 यथा उज्जैन रोड (मिनी सुपर कारिडोर) के आगे ग्राम नागूखेडी एवं नौसराबाद की भूमि पर योजना के संबंध में प्राप्त आपतियों की सुनवाई बाबद।**

संदर्भः आपका आपति पत्र दिनांक ....

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित आपत्ति के तारतम्य में आपको सूचित किया जाता है कि, देवास विकास प्राधिकरण की नगर विकास स्कीम क्रमांक टी.डी.एस.-08/2023 ग्राम नागूखेडी एवं नौसराबाद पर आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग के प्रयोजन हेतु यथा उज्जैन रोड (मिनी सुपर कारिडोर) के आगे ग्राम नागूखेडी एवं नौसराबाद होते हुए बायपास रोड तक तैयार योजना के संबंध में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50(3) के अन्तर्गत राजपत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया था।

प्रकाशित विज्ञप्ति के पश्चात आपके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई हेतु **बुधवार दिनांक 31.01.2024** को **दोप. 3:00 बजे** का समय निश्चित किया गया है। अतः कृपया उक्त दिनांक एवं निश्चित समय पर आप स्वंय अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि/अभिभाषक के मार्फत निम्न स्थान पर सुनवाई हेतु उपस्थित रहने का कष्ट करें, तथा आपत्ति पत्र में उठाए गये मुददो के संबंध में जो भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हो, वह भी साथ लाने का कष्ट करें। नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रकरण में गुण - दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण स्वंतत्र रहेगा।

सुनवाई हेतु स्थान :-
देवास विकास प्राधिकरण,
चौथी मंजिल (विक्रय शाखा)
चामुण्डा कॉम्पलेक्स ए.बी. रोड,
देवास (म.प्र.)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
देवास विकास प्राधिकरण,
देवास (म.प्र.)

E:\DDA TS\2024\Letter